



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1013]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 1013]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

का.आ. 1147(ब).—केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 के अध्यादेश 13) के खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 02 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) में निर्दिष्ट तरीके से केन्द्रीय शैक्षिक संस्था के अध्यापक संवर्ग में संस्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण होगा, जो निम्नानुसार है, नामतः—

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत,
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत,
- (ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत।

[फा. सं. 38-11/2017-सीयू-V]

आर. सुब्रह्मण्यम, सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2019

S.O. 1147(E).—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (Ordinance 13 of 2019), the

Central Government hereby specifies that there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a Central Educational Institution in the manner specified in Office Memorandum, No. 36012/2/96-Estt. (Res.) of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, dated 2nd July, 1997 to the extent as follows, namely:—

- (a) fifteen per cent for Scheduled Castes,
- (b) seven and one-half per cent. for Scheduled Tribes, and
- (c) twenty-seven per cent for Socially and Educationally Backward Classes.

[F. No. 38-11/2017-CU-V]

R. SUBRAHMANYAM, Secy.